संख्या- 01/2016/175/9-8-2016-05ज/2016

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0 प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 28 जनवरी, 2016

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग नैमिषारण्य-मिश्रिख तीर्थ स्थल जनपद-सीतापुर में की गयी घोषणा की पूर्ति किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या-19/क0प्र0नि-8/का-2/02 दिनांक 13.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में 84 कोसी प्ररिक्रमा मार्ग नैमिषारण्य-मिश्रिख तीर्थ के जनपद-सीतापुर में पढ़ने वाले 06 पड़ावों पर रैन बसेरा आदि के निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में "अनुदान संख्या-37 नैमिषारण्य-मिश्रिख तीर्थ की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास" किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि में से रूपये 1188.18 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अठासी लाख अठारह हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 594.09 लाख (रूपये पांच करोड़ चौरानवे लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

धनराशि रूपये लाख में,

क्र.	जनपद	कार्यमद/	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	वित्तीय स्वीकृति की धनराशि
1	सीतापुर	84 कोसी परिक्रमा मार्ग मोहल्ला देवगवां में पड़ाव नम्बर-6 पर रैन बसेरा आदि का निर्माण कार्य	195.72	195.72	195.72	
2		84 कोसी परिक्रमा मार्ग मोहल्ला मदऊआ में पड़ाव नम्बर-7 पर रैन बसेरा आदि का निर्माण कार्य।	196.69	196.69	196.69	
3		84 कोसी परिक्रमा मार्ग मोहल्ला जरिगवां में पड़ाव नम्बर-8 पर रैन बसेरा आदि	195.07	195.07	195.07	

http://shasanadesh.up.nic.in

		का निर्माण कार्य				
4		84 कासी परिक्रमा मार्ग मोहल्ला कोल्हुआ बरेठी में पड़ाव नम्बर-10 पर रैन बसेरा आदि का निर्माण कार्य।	212.35	212.35	212.35	
5		84 कोसी परिक्रमा मार्ग मिश्रिख में पड़ाव नम्बर-11 पर रैन बसेरा आदि का निर्माण कार्य।	191.58	191.58	191.58	
6		84 कोसी परिक्रमा मार्ग मोहल्ला ठाकुर नगर में पड़ाव पर रैन बसेरा आदि का निर्माण कार्य।	196.77	196.77	196.77	
		योग-	1188.18	1188.18	1188.18	594.09

(रूपये पांच करोड़ चौरानवे लाख नौ हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगी।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर कार्यदायी संस्था द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(8) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(11) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(13) स्वीकृत की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के अन्तर्गत कराग्रे गये निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चैंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था निकाय क्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं को सम्बन्धित निकाय को हस्तांतरित करेंगे तथा निकाय क्षेत्र के बाहर आने वाली परियोजनाओं को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजनाओं को हस्तांतरित किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/निकाय द्वारा उनके रखरखाव एवं सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-05-नैमिषारण्य-मिश्रिख तीर्थ की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास -35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-01/2016/175(1)/9-8-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक सी0 एण्ड डी0 एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. जिलाधिकारी, सीतापुर उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-मिश्रिख-नैमिषारण्य, जनपद-सीतापुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http//:shasanadesh.up.nic.in